# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 61/2019

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 माणकराम पुत्र गोपूराम जाति कुम्हार निवासी फालकी तहसील रियांबडी जिला नागौर।<br>2 चम्पालाल पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी फालकी तहसील रियांबडी जिला नागौर। | | 1 तहसीलदार रियांबडी।<br>2 सरपंच, ढगलाराम पुत्र भगनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पंचायत मुगदडा तहसील रियाबडी जिला नागौर।<br>3 हुक्माराम ग्राम सेवक मुगदडा तहसील रियाबडी।<br>4 गंगाविशन पुत्र बंशीलाल जाति खाती निवासी फालकी तहसील रियाबडी। |

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल खुडखुडिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पुनिया, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी 4 की ओर से।

**आदेश** दिनांकः 26.12.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुगदडा द्वारा पटटा संख्या 918–19 दिनांक 25.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.12.14 को प्रस्तुत की गई। जो पंचायत निगरानी सं. 91/14 माणकराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य दिनांक 07.08.19 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.19 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.10.19 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थी के अधिवक्ता को दी गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री ओमप्रकाश पुनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 तथा 03 बाजवूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता उपस्थित हुए। मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि उक्त पंचायत निगरानी में पेशी दिनांक 07.08.2019 को नियत थी। मुझ अधिवक्ता अन्य अदालत में आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण मजबूरीवश उक्त प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित नही आ सका। जिससे उक्त पंचायत निगरानी अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज कर दी गई। मुझ अधिवक्ता जानबूझकर अनुपस्थित नही रहा था, अनुपस्थिति का माकूल व पर्याप्त कारण रहा है। जिससे न्याय हित में पंचायत निगरानी रेस्टोर कर नंबर पर लिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{3}–अप्रार्थी सं. 04 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रार्थी की ओर से जो आवेदन पेश किया है वह विधि के किन प्रावधानो के तहत पेश किया गया है उसका उल्लेख नही है। ना ही आवेदन मे यह अंकित है कि न्यायालय ने मूल निगरानी किस दिनांक को खारिज की व किस कारण से खारिज की। ना ही आवेदन मे ऐसा कोई कारण अंकित किया गया है। ना ही आवेदन के साथ न्यायालय हाजा के किसी भी आदेश की प्रति पेश की गई है। ना ही आवेदन मे यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी न्यायालय के किस आदेश को अपास्त करवाना चाहता है। दिनांक 07.08.19 को न्यायालय हाजा द्वारा क्या आदेश पारित किया गया था, उसका कोई उल्लेख किया गया है। ना ही

26/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

आवेदन के साथ प्रार्थी के अधिवक्ता का कोई शपथ पत्र ही पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त आवेदन अपूर्ण व अस्पष्ट होने से निरस्तनीय है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.08.19 को न्यायालय सुनवाई में मजबूरीवश उपस्थित नही होना स्वीकार किया गया है, अतः न्याय की दृष्टि से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.19 स्वीकार कर मूल पंचायत निगरानी सं. 91/14 माणकराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.19 निरस्त कर प्रकरण पुनः रेस्टोर किया जाता है।

{6}– आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/12/19

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर